भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी 2018—पृष्ठ 26, शक 1939

विभिन्न और विभिन्न कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्रमांक 925-14-इक्कीस-अ(प्र.प्र.)—भारत के संविधान के अनुसार 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रकाशित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
धाराएँ:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. उपकर का उद्देश्य और संग्रहण.
4. स्थानीय प्राधिकरण निधि.
5. उपकर का भार.
6. उपकर का संदर्भ.
7. रजिस्ट्रीकरण.
8. कतिपय परिस्थितियों में प्रतिदिन.
9. फर्म का दायित्व.
10. उपकर प्राधिकारी.
11. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
12. कार्यालयों के अंतर्गत की शक्ति.
13. वेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.
14. कतिपय विक्रयों का उपकर के अधीन दायी न होना.
15. नियम बनाने की शक्ति.
16. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति.
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक 2 सन् 2018

मध्यप्रदेश मोटर सिपारिट उपकर अध्यादेश, 2018

"मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 16 जनवरी, 2018 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया।

भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रकाशित किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य में नगरीय परिवहन अधिसंचालन के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के योजनानुसार अथवा उसके लिए प्राप्त किए गए ऋण के पुनर्उद्गतान के लिए मध्यप्रदेश राज्य में मोटर सिपारिट (सामान्यतः पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) के विक्रय पर उपकर उद्गृहीत करने के लिए अध्यादेश।

चूंकि राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रकाशित करते हैं:

संक्षिप्त नाम, विस्तार
1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटर सिपारिट उपकर अध्यादेश, 2018 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
परिमाणापि: 2. (1) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “उपकर” से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन उदगृहीत मोटर सिपारिट के कर्योयग कुल राशि पर देय उपकर;

(ख) “व्यापारी” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो मोटर सिपारिट के क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबाह करता है;

(ग) “रजिस्ट्रीकृत व्यापारी” से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी;

(घ) “नियम” से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियम;

(ङ) “कर” से अभिप्रेत है, वेट अधिनियम के अधीन देय कर और अतिरिक्त कर;

(च) किसी व्यापारी के संबंध में “कर्योयग कुल राशि” (टैक्सैबल टॉर्न ओवर) से अभिप्रेत है, व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हाथ में ऐसे मोटर सिपारिट के उस विक्रय मूल्य को, जिससे इसे क्रय किया गया है तथा जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपकर संदत्त किया है, घटाने के पश्चात शेष बचता है;

(छ) “कुल राशि (टॉर्न ओवर)” से अभिप्रेत है, मोटर सिपारिट के किसी विक्रय या प्रदाय या वितरण के संबंध में किसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए तथा प्राप्त किए जाने योग्य विक्रय मूल्य की कुल राशि जिसमें खण्ड
उपरोक्त का उद्धरण और संग्रहण.

3. (1) मध्यप्रदेश राज्य में नगरीय परिवहन अधिसूचना के विकास के लिए निच्छे उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, राज्य के भीतर व्यापारी की मोटर स्पिरिट की कर्योग्राम कुल राशि पर उपकर उद्धृतैत्तर्थ संग्रहित किया जाएगा।

(2) उप्रधारा (1) के अधीन उपकर, ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की जाए, ऐसे मोटर स्पिरिट की कर्योग्राम कुल राशि के एक प्रतिशत की दर से, ऐसी रीति में उद्धृतित किया जाएगा जैसी कि विभिन्न का जाे।

(3) उप्रधारा (1) के अधीन उद्धृतित उपकर व्यापारी द्वारा देख होगा।

4. (1) इस अध्यादेश के अधीन वसूल किए गए उपकर और व्याज (चुराने को छोड़कर) के आगम, प्रथमत: राज्य संचित निधि में जमा किए जाएंगे और संग्रहण तथा उससे हुई वसूली के व्याय की कटौती के, पश्चात, इस निमित्त विधि द्वारा सम्पर्क से किए गए विनियोजन के अधीन, मध्यप्रदेश नगरीय परिवहन अधिसूचना विकास निधि के नाम से इत्यादि, एक पृथक निधि में प्रविष्ट और अंतिरित किए जाएंगे।
उपकर्ता का 5. भार.

उपकर्ता का 6. भुगतान.

रजिस्ट्रीकरण. 7.

कारण 8. परिस्थितियों में प्रतिदाय.

फ़र्म का 9. दायित्व.
पृथकः उपकर के भुगतान का दायी रहे तो वह उसकी सेवानिवृत्ति के समय के लिए अध्यादेश के अधीन रहेंगे। उपकर, शासित, व्याज या कई अन्य राशि के और उसकी सेवानिवृत्ति के तारीख तक शोध्यु हुआ कोई उपकर, चाहे उपकर या शासित या व्याज के उद्ग्रहण का निर्धारण पर चालु करीं तारीख को किया गया है, भुगतान का दायी होगा।

उपकर प्राधिकारी.

इस अध्यादेश के प्रयोजनों का किया जाना चाहिए करने के लिए, वेत अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी और प्राधिकारी इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी समझे जाएंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

आयुक्त, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हैं। इस अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को, धारा 10 के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेंगा।

कार्यवाहियों के अंतरण की शक्ति.

आयुक्त, किसी व्यक्ति को सम्पर्क सूचना के प्रश्न, लिखित आदेश द्वारा इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन, किन्हीं कार्यवाहियों अथवा कार्यवाहियों के दर्ज के स्वयं के पास से किसी अन्य अधिकारी को अंतरित कर सकेंगा और इसी प्रकार किसी ऐसे अधिकारी से दूसरे अधिकारी या स्वयं के माध्यम से किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को (इस धारा के अधीन पहले से अंतरित कार्यवाहियों को समंजित करते हुए) अंतरित कर सकेंगा।
13. केवल अधिनियमों के अनुसार केवल उपबंधों का लागू होना।

इस अध्यादेश तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वेट अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियमों जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं, जिसमें रजिस्ट्रीकरण, कर भुगतान करने के दायित्व का निर्धारण, विवरण, निर्धारण, स्व-निर्धारण, पुनर्निर्धारण, कर का भुगतान एवं वसूली, लेखे, कर अपवाद की पहचान और उसका निर्धारण, प्रतिस्पर्धा, अपूर्ति, पुनरीक्षण, परिशोधन, अपराध और शास्त्रीय तथा अन्य प्रकृतियाँ विषय से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं, यथावच्चक परिवर्तन सहित, किसी व्यापारी को इस अध्यादेश के अधीन उद्गृहीत और उसे उपकर, व्यापार या शास्त्रीय संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वे उपबंध इस अध्यादेश में यथावच्चक परिवर्तन सहित इस अध्यादेश में समावेश कर लिए गए हैं और यह समझा जाएगा कि उन उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम और जारी किए गए आदेश तथा अधिसूचनाएं, यथावच्चक परिवर्तन सहित उन पुसंगत उपबंधों के अधीन बनाए गए या जारी किए गए थे/जारी की गई थी जो इस अध्यादेश में इस प्रकार समावेश किए गए हैं।

14. (1) इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों की कोई भी वात, मोटर स्पिरिट की कुल राशि (टर्मीनोवर) पर किसी उपकर को अधिरोपित करना या अधिरोपण प्राधिकृत करना नहीं समझी जाेंगी, जहाँ ऐसा विक्रय –

(क) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर, या

(ख) भारत के क्षेत्र में ऐसे मोटर स्पिरिट को आयात या ऐसे क्षेत्र से माल के निर्यात के अनुक्रम में, या
(ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में, या
(घ) जहां ऐसा विक्रय विशेष आर्थिक पक्षियों अर्थव्यवस्था अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के उपर्युक्त केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष अर्थिक पक्षीय में अवस्थित इकाई को, किया जाता हो।
(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए जहां कोई विक्रय—
(क) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर, या
(ख) भारत क्षेत्र के भीतर आयात के अनुक्रम में या ऐसे क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात, या
(ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है, तो इसका निर्धारण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 3, 4 और 5 में विनिर्देश सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

15. (1) राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाना सकेगी।
(2) विशिष्टताओं और पूर्ववागि शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले आना, राज्य सरकार निम्नलिखित को विहित करते हुए नियम बना सकेगी,—
(क) प्रस्तुत और रीति जिसमें विवरणों का प्रस्तुत की जाएगी;
(ख) प्रस्तुत और रीति जिसमें और कालावधि जिसके पहले उपकर का युगात्म किया जाएगा;
(ग) प्रस्तुत जिसमें निर्धारण का आदेश पात्र किया जाएगा;
(घ) प्रस्तुत जिसमें संयुक्त पत्र की सूचना जारी की जाएगी।
कठिनाईयां दूर करने की शक्ति 16. इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावित करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

भोपाल: 
तारीख: 12 जनवरी, 2018

अध्यक्ष राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDNANCE
No. 2 of 2018
THE MADHYA PRADESH MOTOR SPIRIT UPKAR ADHYADESH, 2018
TABLE OF CONTENTS

Sections:
1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Levy and collection of cess.
4. Local Authorities Fund.
5. Incidence of cess.
6. Payment of cess.
7. Registration.
8. Refund in certain circumstances.
9. Liability of firms.
12. Powers to transfer proceedings.
13. Certain provisions of VAT Act to apply.
14. Certain sales not liable to cess.
15. Power to make rules.
16. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 2 of 2018
THE MADHYA PRADESH MOTOR SPIRIT UPKAR ADHYADESH, 2018
First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th January 2018.

Promulgated by the Governor in the sixty-eighth year of the Republic of India.

An Ordinance to levy cess on sale of motor spirit (commonly known as petrol) in the State of Madhya Pradesh for the purpose of providing fund for development of urban transport infrastructure in the State of Madhya Pradesh or for repaying the loan taken therefor.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhyadesh, 2018.
(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
(3) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions

2. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) “cess” means the cess payable on the taxable turnover of motor spirit levied under section 3;
(b) "dealer" means any person who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing motor spirit;

(c) "registered dealer" means a dealer registered under this Ordinance;

(d) "rules" means rules made under this Ordinance;

(e) "tax" means tax and additional tax payable under the VAT Act;

(f) "taxable turnover" in relation to a dealer means that part of dealer's turnover which remains after deducting therefrom the sale price of motor spirit at the hands of the registered dealer from whom it has been purchased, subject to the condition that the selling registered dealer has paid cess on such sale price;

(g) "turnover" means aggregate of the amount of sale prices received and receivable by a dealer in respect of any sale or supply or distribution of motor spirit including the amount of tax as defined in clause (e);

(h) "VAT Act" means the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002).

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the VAT Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Levy and collection of cess.

(1) For the purpose of providing fund for the development of urban transport infrastructure in the State of Madhya Pradesh, there shall be levied and collected a cess on
the taxable turnover of motor spirit of a dealer, within the State.

(2) The cess under sub-section (1) shall be levied for such period as notified by the State Government at the rate of one percent of the taxable turnover of such motor spirit, in such manner as may be prescribed.

(3) The cess levied under sub-section (1) shall be payable by the dealer.

Local Authorities Fund

4. (1) The proceeds of the cess and interest (other than fines) recovered under this Ordinance shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and after deduction of the expenses of collection and recovery therefrom shall, under appropriation duly made by law in this behalf, be entered in, and transferred to, separate fund called the Madhya Pradesh Urban Transport Infrastructure Development Fund.

(2) The amount transferred to the Madhya Pradesh Urban Transport Infrastructure Development Fund shall be expensed for the development of urban transport infrastructure within the State or for repaying the loan taken therefor.

Incidence of cess

5. Every dealer liable to pay tax on motor spirit under VAT Act shall be liable to pay cess on his taxable turnover of motor spirit under this Ordinance.

Payment of cess.

6. The cess levied under section 3 shall be payable by the dealer in such manner as may be prescribed.

Registration

7. Every dealer registered under the VAT Act dealing in motor spirit shall be deemed registered dealer under this Ordinance.
Refund in certain circumstances.

8. Where cess under section 3 is levied and collected on the taxable turnover of motor spirit and such motor spirit is subsequently sold by a dealer in the course of inter-State trade or commerce or exported out of the territory of India, the dealer shall, upon an application made in this behalf and subject to such conditions as may be prescribed, be entitled to refund of cess in respect of such sale by him of the motor spirit.

Liability of firms

9. Where a business is owned, managed or run by a firm, the firm and each of the partners of the firm shall jointly and severally be liable to pay cess under this Ordinance:

Provided that where any partner retires from the firm he shall be liable to pay the cess, penalty, interest or any other amount payable under this Ordinance remaining unpaid at the time of his retirement, and any cess due up to the date of his retirement, even if assessment of cess, or levy of penalty or interest is made at a later date.

Cess Authorities

10. For carrying out the purposes of this Ordinance, the officers and authorities appointed under VAT Act shall be deemed to be the officers appointed under the provisions of this Ordinance.

Delegation of powers

11. Subject to the general or special orders of the State Government, the Commissioner may delegate any of the powers conferred upon him by or under this Ordinance to any person appointed to assist him under section 10.

Powers to transfer proceedings

12. The Commissioner may, after due notice to the dealer, by order in writing, transfer any proceedings or class of proceedings under any provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, from himself to any other officer and
he may likewise transfer any such proceedings (including proceeding already transferred under this section) from one such officer to another officer or to himself.

13. Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, the provisions of the VAT Act and the rules made, orders and notifications issued thereunder, including the provisions relating to registration, determination of liability to pay tax, returns, assessment, self-assessment, reassessment, payment and recovery of tax, accounts, detection and prevention of tax evasion, refund, appeal, revision, rectification, offences and penalties and other miscellaneous matter, shall mutatis mutandis apply to a dealer in respect of cess, interest or penalty levied and payable under this Ordinance as if these provisions were mutatis mutandis incorporated in this Ordinance, and it shall be deemed that the rules made and orders and notifications issued under those provisions were mutatis mutandis made or issued under the relevant provisions as so incorporated in this Ordinance.

14. (1) Nothing in this Ordinance or the rules made thereunder, shall be deemed to impose or authorize the imposition of a cess on any turnover of motor spirit where such sales take place -

(a) outside the State of Madhya Pradesh, or

(b) in the course of the import of such motor spirit into the territory of India or the export of the goods out of such territory, or

(c) in the course of inter-state trade or commerce, or
(d) where such sale is made to unit located in a Special Economic Zone notified by the Central Government under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005).

(2) For the purpose of this section, where a sale takes place-
(a) outside the State of Madhya Pradesh, or
(b) in the course of import of the goods into the territory of India or the export of the goods out of such territory, or
(c) in the course of inter-State trade or commerce,
it shall be determined in accordance with the principles specified in sections 3, 4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).

**Power to make rules.**

(1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Ordinance.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules prescribing-
(a) the form and the manner in which the returns shall be filed;
(b) the form and the manner in which and the period before which cess shall be paid;
(c) the form in which the order of assessment shall be passed;
(d) the form in which notice of demand shall be issued.

(3) All rules made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.
Power to remove difficulties. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by general or special order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Ordinance, as appear to be necessary or expedient for removal of the difficulty.

OM PRAKASH KOHLI

Bhopal:

Governor,
Madhya Pradesh.